तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **प्रसन्नचन्द बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बिलाड़ा)** सू.अ.अपील संख्या 196/2023	न. व. तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.23	अपीलार्थी प्रसन्न चन्द ओस्तवाल निवासी 43ई, प्रथम तल, सॉकार्पेट, चेन्नई ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2023 में (1) प्रकरण संख्या 2119/78 अनवान राज्य सरकार बनाम श्री जैन रत्ना सैकण्डरी स्कूल, भोपालगढ़ निर्णय दिनांक 31.12.1978 से सबंधित संपूर्ण पत्रावली (2) अन्य बिन्दू से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, बिलाड़ा) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	